

**न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क्र.-545 / 2015

संस्थित दिनांक-26.06.2015

फाईलिंग नं.-234503006212015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

मनीष परवार पिता तुलसीदास परवार, उम्र-27 साल,
साकिन नर्मदा नगर वार्ड नंबर-32 बालाघाट,
थाना कोतवाली, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-16/06/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं धारा-130(3)/177 मो.व्ही.एक्ट के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-18.12.2014 को शाम 06.00 बजे थाना बैहर अन्तर्गत बैहर बालाघाट रोड़ पिपरिया के आगे मेडकुल नाला में लोकमार्ग पर वाहन पल्सर मोटरसाईकिल, जिसका चेचीस क्रमांक-MD2A11CZ1ECF86938 इंजन नंबर-DHZCEF66230 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत राजा उर्फ राजन को चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा आदि दस्तावेज पेश नहीं किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-18.12.14 को पुलिस थाना बैहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक आर.के.सिंह. ठाकुर को चिकित्सक डॉक्टर एन.एस. कुमरे द्वारा लिखित तहरीर प्रेषित की गई जिसके अनुसार आहत मनीष तथा राजन का ईलाज उपरोक्त चिकित्सक द्वारा दुर्घटना के पश्चात् किया जाना बताया गया। उसने आहत राजा के कथन लेख किये, जिसके अनुसार आरोपी मनीष ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पिपरिया के आगे गिरा दिया, जिससे आहत राजा को बाएं पैर तथा घुटने के उपर चोट आई थी। उपरोक्त आधार पर अपराध क्रमांक-214/2014, धारा-279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा-184 मो.व्ही.एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन

लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन की जप्ती गई। आहत को अस्थिभंग होने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 तथा वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा आदि दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा-130(3)/177 का ईजाफा किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत राजा उर्फ राजन ने आरोपी से राजीनामा कर लिया। जिसके अनुसार आरोपी को शमनीय भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-18.12.2014 को शाम 06.00 बजे थाना बैहर अन्तर्गत बैहर बालाघाट रोड़ पिपरिया के आगे मेडकुल नाला में लोकमार्ग पर वाहन पल्सर मोटरसाईकिल, जिसका चेचीस क्रमांक-MD2A11CZ1ECF86938 इंजन नंबर-DHZCEF66230 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत राजा उर्फ राजन को चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा आदि दस्तावेज पेश नहीं किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी राजा उर्फ राजन (अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक-18.12.2014 की है। वह अपने भाई के साथ बैहर आया था और लगभग 6 बजे वापस जा रहा था, तो पिपरिया के आगे वाहन के आगे पत्थर आ जाने से वाहन गिर गया। उसने घटना की रिपोर्ट नहीं की थी। उसका ईलाज बैहर अस्पताल में हुआ था। दुर्घटना के समय उसने वाहन का नंबर नहीं बताया था। पुलिस ने उससे वाहन के कागजात नहीं मांगे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अपना पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 में यह बात बताई थी कि दुर्घटना के समय आरोपी वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चला रहा था। साक्षी ने यह भी भी कहा है कि उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और पुलिस को कथन लेख नहीं कराए थे।

6— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अभियोग है। फरियादी एवं चक्षुदर्शी साक्षी राजा उर्फ राजन अ.सा.1 ने कहा है कि दुर्घटना सड़क पर पत्थर आ जाने से हुई थी। आरोपी ने वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से नहीं चलाया था। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

7— आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-130(3)/177 का भी अपराध किये जाने का अभियोग है। मोटरयान अधिनियम की धारा वाहन का रजिस्ट्रेशन तथा कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाने से उत्पन्न होती है। फरियादी राजा अ.सा.1 अपने कथन में कहा है कि विवेचक द्वारा उससे कागजात की मांग नहीं की गई। प्रकरण में विवेचक के कथन लेख नहीं किये गए, इसलिए यह धारणा नहीं की दुर्घटना के पश्चात् संबंधित वाहन के दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेज नहीं पेश किये गए। ऐसी स्थिति में आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-130(3)/177 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

8— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

9— आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

10— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पल्सर क्रमांक एम.पी-50/एम.जे-8790 तथा चेचीस क्रमांक-MD2A11CZ1ECF86938 इंजन नंबर-DHZCEF66230 पूर्व से तुलसीदास परवार पिता खेमदास परवार की सुपुर्दगी पर हैं। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त माना जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत हो।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

दिनांक-16.06.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, बालाघाट म0प्र0